प्रेषक,
अरविंद कुमार,
प्रमुख सचिव,
उपरोक्त, शासन।

सेवा में,
1- समस्त जिलाधिकारी, 2- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9
लखनऊ, दिनांक 27 जनवरी, 2016
विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य सोसाइटी (DHS) की बैठक की प्रक्रिया के सुदृढ़करण के संबन्ध में।

महोदय/महोदया,
जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के गठन और इसके संशोधन हेतु पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-2749/पाञ्च-9-06-9(168)/06 दिनांक 16 नवम्बर 2006 एवं 80/पाञ्च-9-14-9(56)/13, दिनांक 15 जनवरी, 2014 के क्रम में प्रक्रिया के सुदृढ़करण के उद्देश्य से यह शासनादेश जारी किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाने, उच्च गुणवत्तापर रायवर नियोजन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2017 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।

2- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम में निहित विभेदित मतलबाधितों की नियमित समीक्षा हेतु वर्तमान में एक प्रणाली विद्यमान है, जिसे सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे मुख्य स्वास्थ्य संकेतकों यथा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सकल प्रजनन दर आदि के स्वरूप को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जा सके।

इस शासनादेश के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(अ) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठकों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु मानक प्राप्ति निधारित किया जाना (बैठकों हेतु सैम्पल एजेंडा संलग्नक-1)
(ब) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा कार्यक्रमों के बहतर नियोजन/क्रियान्वयन हेतु एच0एम0आई0एस0/एम0पी0टी0एस0/ सेपारिव हापिजन/ समुदाय एवं केन्द्र आधारित सर्वोपरिक का मानक प्रयोग किया जाना।
(स) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रभावी समीक्षा हेतु एच0एम0आई0एस0 बुलेटिन, (www.uphealth.up.in एवं www.upnrhm.

1- इस शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकज्ञातीय जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणितता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से संयंत्रित की जा सकती है।
(1) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी (डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी) के मुख्य कार्य :-
- जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति की मासिक बैठकों का आयोजन।
- जिला कार्ययोजना को स्वीकृत करना एवं यह सुनिश्चित करना कि यह रोबर्ट ग्रैप विश्लेषण पर आधारित है।
- राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के अनुसार, जिला एवं विभिन्न स्तर पर पश्चिम धनराज नगर का आवधन सुनिश्चित करना।
- जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा कार्यक्रमों की समुचित भौतिक एवं मिश्रित उपलब्धि सुनिश्चित किया जाना।
- हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (HMIS) बुलेटिन, डेशबोर्ड एवं मुकदम धिकिसाधिकारी की रैकिंग के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों में जिले के परभाषाओं की लिखानी करना, कमियों की पहचान करना एवं उनमें सुधार सुनिश्चित करना।
- आत्मकारिक एवं बाह्य क्षेत्रीय समन्वय सुनिश्चित करना।
- जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की पूर्व की बैठकों में लिए गये रिपोर्ट्स पर की गयी कार्यवाही का फॉलोअप करना।
- राज्य स्तर से निर्देश शासनाधीन एवं दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन एवं नियमित समीक्षा।

(2) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठकों के आयोजन की प्रक्रिया निबन्धित होगी:-
- शासी निकाय (गवर्निंग बॉर्ड) की बैठक से पहले कार्यकारी समिति (एकीकृत बॉर्ड) की बैठक का होना आवश्यक है।
- कार्यकारी समिति की बैठक में चिन्हित मुद्दों को लिखानियाँ शासी निकाय की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
- कार्यकारी एवं शासी निकाय की बैठकों की निम्न प्रक्रिया से संचालित किया जाएँ :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>समीक्षा का स्तर</th>
<th>आयोजन</th>
<th>चिन्हित क्रमियों का विश्लेषण</th>
<th>डेटा स्रोत एवं समीक्षा के फूल्स</th>
<th>स्तर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>जिला कार्ययोजना (DHAP) में लिखानियाँ मासिक</td>
<td>मानव संसाधन, भौतिक संस्थान, उपकरण, उपस्थिति एवं आयुर्विका की समीक्षा, विशेषज्ञ प्रश्नों के प्रस्तुत किया जाना।</td>
<td>संख्यात्मक-2 (ए से डी तक)</td>
<td>कार्यकारी समिति</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. यह शासनाधीन इंस्ट्रक्शनकी गृहीत किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनाधीन की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सर्वाधिक अनुसार है।
<table>
<thead>
<tr>
<th>अंक</th>
<th>आकड़ों की प्राप्ति की समीक्षा</th>
<th>मासिक सुपरविजन की समीक्षा</th>
<th>कार्यकारी समिति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>आकड़ों की मासिक सुपरविजन की समीक्षा</td>
<td>1) समय से डेटा अपलोड सुनिश्चित किया जाना। 2) जिला स्तरीय बैठक समिट (डेटा वेलिडेशन कमेटी) की बैठक एवं उसके द्वारा सपोटिव सुपरविजन भ्रमण की स्थिति की समीक्षा। 3) एच0एम0आई0एस0 सपोटिव सुपरविजन एवं डेटा ऑडिट के परिणामों का विश्लेषण। 4) एच0एम0 द्वारा आशावाद एच0सी0एच0 राजस्थान की उपलब्धता की समीक्षा। 5) जिला वेलिडेशन कमेटी द्वारा मासिक रूप से अपलोड किये जाने वाले एच0एम0आई0एस0 डेटा एवं व्यक्तियों द्वारा तैयार किए गये डेटा का ऑडिट किया जाए तथा डेटा में पाई जाने वाली छुट्टी, हेल्फर एवं लापरवाही के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।</td>
<td>एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 डेटा/सपोटिव सुपरविजन की समीक्षा हेतु ग्रुपवत्ता विश्लेषण का प्रारूप (संलग्नक-3)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>RMNCH+ A की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सपोटिव सुपरविजन विजिट</td>
<td>1) दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित भ्रमण संग्रह का नियोजन। 2) जिला एवं व्यक्ति स्तर के अधिकारियों द्वारा नियोजित भ्रमण संग्रह की समीक्षा। 3) आवश्यक औषधियों एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति में कमी की समीक्षा। 4) सभी प्रसार इंकारियों (एल-1,एल-2एवं एल-3) पर आवश्यक RMNCH+A औषधियों।</td>
<td>RMNCH+A सहयोगी परीक्षण भ्रमण के परिणाम</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. यह शासनदेश इस्लामाबाद इलामी जारी किया गया है, अतः इस पर हल्का श्यामल अनुसंधान नहीं है।
2. इस शासनदेश की प्रमुख वेब साइट [http://shaamadagi.inep.ns.gov.in](http://shaamadagi.inep.ns.gov.in) से संदर्भित की जा सकती है।
<table>
<thead>
<tr>
<th>4</th>
<th>स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा</th>
<th>मासिक विभिन्न भारत स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम यथा जेएस० एस० के, जननी सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यथा एन०आर०सी०, एन०बी०एस० यू०, एन०बी० सी०, एसएनसी०, आर०बी०एस० के, अर०के० एस० के, परिवार नियोजन, टीकाकरण एवं विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा।</th>
<th>एव०एम०आई०एस०, वेब पोस्टेल एवं अन्य निर्धारित रिपोर्टिंग प्रस्त (संलग्नक-4 साक्षरता रिपोर्टिंग प्रारूप)</th>
<th>कार्यकारी समिति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>कम्युनिटी पोस्टेल एवं ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस</td>
<td>मासिक 1) व्लॉकों में आशा की नियुक्ति की स्थिति। 2) क्लास्टर बैठक में आशा की प्रतिभागिता। 3) आशा के पास VHIR की उपलब्धता की स्थिति। 4) ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस संग्रह का नियोजन एवं आयोजन। 5) ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता।</td>
<td>साक्षरता रिपोर्टिंग प्रारूप (संलग्नक-5)</td>
<td>कार्यकारी समिति</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>आच्छादन एवं सेवा उपभोग की समीक्षा</td>
<td>मासिक 1) व्लॉकवार तय किये गये लक्ष्य एवं उनके सापेक्ष प्राप्त की गयी उपलब्धियाँ एवं उनकी गणना की समीक्षा। 2) एच०एम०आई०एस० डेटा एवं एच०एम०आई०एस० बुलेटिन के आधार पर सभी RMNCH+ए संकेतों की समीक्षा। 3) अन्य एच०एम०आई०एस० आंकड़े जैसे आस०पी०ढै०, आइ०पी०ढै०, जैव गाय, शल्य क्रिया और संक्रामक एवं अस्तूरिय रोगों की भी समीक्षा की।</td>
<td>एच०एम०आई०एस० डेटा,एच०एम०आई०एस० बुलेटिन एवं अन्य सर्व रिपोर्ट</td>
<td>कार्यकारी समिति</td>
</tr>
<tr>
<td>वित्तीय मासिक परफॉर्मेंस की समीक्षा</td>
<td>वित्तीय मासिक कार्यकर्ताओं की समीक्षा</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1) मासिक वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा तथा पिछले वर्ष उसी माह के समीक्षा के तुलना में सुधारात्मक कार्यवाही।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2) कंपनी ऑडिट बी ऑर्थोएस, आरोके एस ० ऑडिट रिपोर्ट एवं एफ ० एम ० एफ ० एस ० एडवाइजरी की समीक्षा करना।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3) जिला आडिट कमेटी की मासिक बैठक प्रत्येक दो महीने में एक बार आयोजित कराया जाना।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>जिला एवं वार्षिक ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य कार्य योजना</th>
<th>भारत सरकार के मानकानुसार इकाइयों पर विचित्र मैप्स/एफएमआईएसएस डेटा।</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयाँ प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, औपचारिक, उपकरण, केन्द्रीयमंत्रित्व इत्यादि की गैप एनालिसिस करना।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2) अन्यसंधाय, इकाइयों पर उपलब्ध सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं का विचारिकरण किया जाना।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3) स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण आचार्यता सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं एवं स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या सुनिश्चित किया जाना।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ब्लॉक स्तर पर प्राप्त स्वीकृति का आनुपमितिक निधीरण</th>
<th>स्वीकृति कार्योयोजन के लिकाय आधार पर</th>
</tr>
</thead>
</table>

1. यह शासनदेश इकाइयों की जारी किया गया है, अन्तर्दर्शन पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनदेश की प्रमाणित वेब साइट [http://shasanadesh.up.nic.in](http://shasanadesh.up.nic.in) से सूचीबद्ध की जा सकती है।
जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के संविधायिक के रूप में कार्य कर रही है, का यह उन्नतरामित है कि राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी से जारी एन0एच0एम0 डेप ग्राइंडलाइन बुकलेट पर जलपट स्तरीय शासी निकाय से एकमात्र अनुमोदन प्राप्त किया जाय। इस प्रकार एफ0एम0आर0 कोडवार विभिन्न गतिविधियों हेतु राज्य स्तर से स्वीकृत धनराशि पर अध्यक्ष शासी निकाय स्तर से प्राप्ती पर पूरक से अनुमोदन राज्य स्तर तक अवशेषक नहीं है। क्रियायोग्य गतिविधियों के लिये धनराशि की स्वीकृति डेप बुकलेट के अंतर्गत दी जाती है, उन पर शासी निकाय का अनुमोदन लिया जाना होगा। इस समस्या में राज्य स्तर से पत्र संख्या-एस-पी00/000 दिनोंक 23.10.2015-16/7550-2, दिनांक 23.10.2015 द्वारा श्री पूर्व में निर्देश प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि एन0एच0एम0 की गतिविधियों हेतु धनराशि आंदोलन/अवस्थान समयबंधी प्रणवली जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक तथा जनपदीय लेखा प्रबन्धक के माध्यम से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अधिकारी को आयोजित की जाय। प्रत्येक स्तर पर यह सूचित किया जाय कि राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात समन्वित प्रोग्राम/चिकित्सा इकाई के खाते में धनराशि तत्काल स्थानांतरित कर दी जाय, जिससे उस धनराशि का समुचित व्यय हो सके।

डी0एच0एम0 की देशी बैंक के लिये निम्न तयारियाँ सूचित की जाए:-
• जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की शासी निकाय की बैंक में पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में समस्त प्रायी चिकित्सा अधिकारीयों की एक समिति बैंक निष्ठित रूप से आयोजित की जाए, जिससे बंक नियंत्रण की गतिविधियों के क्रियायोग्य की अदायत जानकारी प्राप्त हो सके।
• पूर्व बैंक में लिये गये लिरियों के आधार पर अनुपालन आयोजन बैंक नियंत्रण की जाए।
• पी0आई0भी की तैयारी के दौरान राज्य स्तर से साझा की गयी मानक वेकलिस्ट का प्रस्ताव इकाईयों के लिये तैयार की जाए, जिसमें मुख्य रूप से मानव संरक्षण प्रशिक्षण, आयुर्धिक, उपकरण, इन्फ्रा स्ट्रूक्चर, इत्यादि से समन्वित बनता सामरिक हो।
• जिला कार्ययोजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लिया जाए (एफ0आर0 की निर्यकात, प्रसार इकाई की क्रियाशीलता की स्थिति, आयुर्धिक/उपकरण की आपूर्ति इत्यादि).
• स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, सेवाओं का उपयोग तथा दी गयी सेवाओं की मूल्यांकन, आच्छादन आदि संकेतों का विश्लेषण किया जाए। इसके लिये RMNCH+A संपोषित सूचनायोजन विजिट एवं डेटाबॉईड का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित पी0आई0भी में आवश्यकतानुसार समायोजन किया जाए।

1. यह शास्त्रादेश इसेक्साइकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्चकता नहीं ।
2. इस शास्त्रादेश की प्रमाणित के लिए वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सर्वाधिक जानकारी है।
वित्तीय प्रगति की समीक्षा:-

- भौतिक प्रगति की मासिक समीक्षा:-
  - अन्तिम मह में कार्यक्रम की समीक्षा एवं कमियों का पहचान करने हेतु एच0एम0आई0एस0 डेटा, एच0एम0आई0एस0 बुलेटिन और ईशावोड़ की समीक्षा की जाए।
  - फिल्मों मह में किये गये सहयोगी पर्यवेक्षण से प्राप्त डेटा की समीक्षा की जाए और बैठक से पूरा समाधान कार्यान्वयन हेतु कार्ययोजना न्यून्तम कर ली जाए।
  - वैज्ञानिक कमेटी की बैठक में विचित्र की गईं एच0एम0आई0एस0 डेटा गणनकल्प विश्लेषण यथा वैज्ञानिक गुण, कैंसिस्टेसी गुण, कमेटी की बैठक के सत्यापन की स्थिति, एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0/सहयोगी पर्यवेक्षण की चेकलिस्ट तथा डेटा अॉप्टन आदि की संक्षिप्त सूचना पहले से ही तैयार कर ली जाय।
  - मुख्य चिकित्साधारक, अप्रमुख चिकित्साधीकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक के साथ बैठक में सहयोगी पर्यवेक्षण की चेकलिस्ट, एच0एम0आई0एस0 डेटा एवं ईशावोड़ की सूचना के आधार पर कम उपलब्धि वाले ब्यौरों की सूची तथा इनकी चुनौतियों की सूची तैयार कर सुधार हेतु इनकी डाटा कार्ययोजना तैयार की जाए।

(संतुष्टि-7)

(3) बैठक का आयोजन, कार्यवृत्त जारी कराना एवं निर्णयानुसार कार्यवाही करना:-

जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की शासी निकाय की बैठक के आयोजन का उल्लेखनीय मुख्य चिकित्साधीकारी (सयोजक) का है, जिससे वे प्रत्येक मह समाप्त के रूप में दिये गये एडोड़ एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित करायेंगे। बैठक के आयोजन के 3 दिन में हस्ताक्षरित कार्यवृत्त की pdf file एस0पी0एम0यू0 कार्यस्थल के ई-मेल menhrm@gmail.com पर भेजे जाय। इस समाचार में सिद्धान्त विवेकक में से पत्र संख्य-एस0पी0एम0यू0 /एम0ए0एम0ए0एम0ए0एंड मई२०१५-१६/१२/४८४०, दिनांक १७.१२.२०१५ के माध्यम से पूरे में

1- यह शासनाधिकार इलेकानिकली की जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनाधिकार की प्रस्थापित वेब साइट http://shasanadiseh.up.nic.in से सामग्री मिल सकती है।
भी आपके निर्देश भेजे जायें। उक्त के अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की कार्यकारी समिति की बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक महा आयोजित होना अनिवार्य है, जिसके संयोजक अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी-आरवी0एच0/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक हैं।

आपके निर्देशित किया जाता है कि जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकें उपयुक्त दिशाः निर्देशों एवं संलग्न प्रयोजनों के अनुसार आयोजित कराना का कष्ट करें, ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को गति प्रदान की जा सके।

मुख्य पूर्ण विश्वास है कि आपके कृपया मान्यता अर्पित में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पाप्त किया जा सकेगा।

संगठक: यथोक्त।

भवदीय,

अरविंद कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2016/115(1)/पॉच-9-2016, तविनांक।

प्रतिलिपि मिलनाथिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ३०%।
2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ३०%।
3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, ३०%।
4- अधिशासी निदेशक, यू०पी०-टी०एच०य०००।
5- परियोजना निदेशक, यू०पी०एच०एस०एस०पी०।
6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ३०%।
7- समस्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/वित्त नियन्त्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ३०%।
8- समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ३०%।

आप्स से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनाधीन इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनाधीन की प्रमाणित पेश शाइड http://hasanadep.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
1. विसंत बेटक की कार्यवाही की एजेंडा।
2. विसंत बेटक में लिए गए मित्रों के अनुपालन आरोप।
3. वित्तीय प्रणा की समीक्षा (एक्सएक्सआरआर कोडवार)।
4. RMNCH+A एवं अन्य एनएचएचआर कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं की महत्वपूर्ण प्रगति तथा गति की उपलब्धियाँ से सुनियाट।
5. जनपदीय कार्ययोजना के कार्यनिषेध की समीक्षा।
6. समाधी पुरस्कारविभाग संस्थान की समीक्षा (मालिकाना, उपकरण, औपचारिक, एचआरआर हस्ताक्षर)।
7. बेटा अपवर्गित एवं गुणवत्ता की समीक्षा।
8. कामयाबी प्राप्त करने के अर्थात् वित्तीय हस्ताक्षर की समीक्षा।
9. जारी की गयी नईवत्तन परिदृश्यों के अनुसार इनकार की समीक्षा (बाइकॉडसीटीएस एवं अन्य)।
10. शासी नियम की आपातकालीन बेटक हेतु विशिष्ट गुणवत्ता पुरस्कार।
11. अन्य बिंदु।

शासी नियम (जी.डी.) की बेटक का सामर्थ्यक (सैमप्ल) एजेंडा

1. विसंत बेटक की कार्यवाही की एजेंडा।
2. विसंत बेटक में लिए गए मित्रों के अनुपालन आरोप।
3. वित्तीय प्रणा की समीक्षा (एक्सएक्सआरआर बोडवार)।
4. RMNCH+A एवं अन्य एनएचएचआर कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं की महत्वपूर्ण प्रगति तथा गति की उपलब्धियाँ से सुनियाट।
5. जनपदीय कार्ययोजना की हैप्पी एवं स्वीकृति। शासी नियम सुनियाट करें कि विभिन्न साइट/ बेटा खंड आदि के प्राप्त आक्षेप का उपयोग किया जा सके हैं।
6. सज्जा स्तर से प्राकृतिक स्वीकृतियों के अनुसार धनराशि का आयात।
7. सज्जा स्तर से जारी महाद्वीपीय शासनाधीन विभिन्न निर्देशों के कार्ययोजना की समीक्षा।
8. अनुप्रस्ताव से अपलोड किये जा रहे बेटा की गुणवत्ता की समीक्षा।
9. कार्यक्रमों संबंधि हर विशिष्ट बिंदुओं पर निलेख।

1. यह शासनाधीन इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनाधीन की प्रभावणिकता वेब साइट http://shatanagrihup.nic.in से मूल्यांकित की जा सकती है।


### प्रश्न इकाइयों पर मानव संसाधन, औषधियों एवं आपूर्ति ।

#### (५) मानव संसाधन की उपलब्धता

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रस्ताव इकाई का प्रकार</th>
<th>प्रस्ताव इकाइयों की सं. जिन पर एनघेडिटिस्ट उपलब्ध है।</th>
<th>प्रस्ताव इकाइयों की सं. जिन पर वाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हो।</th>
<th>प्रस्ताव इकाइयों की सं. जिन पर स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हो।</th>
<th>प्रस्ताव इकाइयों की सं. जिन पर ३ या अधिक पैरामिडिकल स्टाफ उपलब्ध हो।</th>
<th>सम्पूर्ण स्टाफ के साथ क्रियाशील प्रस्ताव इकाई की सं।</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>एल१</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>सम्पूर्ण स्टाफ वे साथ क्रियाशील प्रस्ताव इकाई की सं।</td>
</tr>
<tr>
<td>एल२</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>सम्पूर्ण स्टाफ वे साथ क्रियाशील प्रस्ताव इकाई की सं।</td>
</tr>
<tr>
<td>एल३</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>सम्पूर्ण स्टाफ वे साथ क्रियाशील प्रस्ताव इकाई की सं।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* क्रियाशीलता के लिए अभिव्यक्ति स्टाफ

एल३: कम से कम एक एनघेडिटिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन एवं तीन स्टाफ नर्स/एनएनए /एन एच.वी.
एल२: कम से कम एक विशेषज्ञ अवधिकारी एवं तीन स्टाफ नर्स/एनएनए /एन एच.वी.
एल१: कम से कम एक एन.बी.ए. अभिषिक्त ए एन एम.

#### (६) केन्द्रों पर उपलब्ध मानव संसाधन (डिलीवरी व्हाइटों एवं नॉन-डिलीवरी व्हाइटों पर)

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>वर्ग</th>
<th>केन्द्रों की सं.</th>
<th>विभिन्न केन्द्रों में स्टाफ की सं.</th>
<th>उपकेंद्र की सं.</th>
</tr>
</thead>
</table>

1. यह शासनाधीन इलेक्ट्रॉनिक्स जारी किया गया है, अतः इस पर दस्तावेज की भावशक्ति नहीं है।
2. इस शासनाधीन की प्रमाणिता के वेब साइट [http://hasanadesh.up.nic.in](http://hasanadesh.up.nic.in) से सन्यापित भी का सक्ती है।

(५७)
सी) प्रसव इकाइयों के लिए आवश्यक औषधियों/उपकरणों की स्थिति

<table>
<thead>
<tr>
<th>माह</th>
<th>वर्ष</th>
</tr>
</thead>
</table>

| दवा एवं आयुर्विज्ञानीय | जनपद स्तर पर आवश्यक संख्या (एक तैराक में) | जिले पर उपलब्ध स्टॉक (पिछले माह का आखिरी स्टॉक) | पिछले तैराक के दौरान स्टोक आउट हुए व्यक्तियों के नाम | पिछले तैराक के दौरान स्टोक आउट वाले स्वास्थ्य केंद्र की सूची |
| दवा एवं आयुर्विज्ञानीय | जनपद स्तर पर आवश्यक संख्या (एक तैराक में) | जिले पर उपलब्ध स्टॉक (पिछले माह का आखिरी स्टॉक) | पिछले तैराक के दौरान स्टोक आउट हुए व्यक्तियों के नाम | पिछले तैराक के दौरान स्टोक आउट वाले स्वास्थ्य केंद्र की सूची |

प्रजनन स्वास्थ्य

| उभी.एक्सिटेंट/ई.नी.ए. |

मातृ स्वास्थ्य

| इंजे. ऑक्सीजन |
| विदेशी प्रदान स्टील गोली |
| एन्टीहाइपरटेंसिया (एक्सीया मेंगिलोपेनिया/लापेलोपेनिया या निषिद्धवांग) |
| इंजे. मैनीपशियम स्लॉट |

व्यक्तिगत स्वास्थ्य

| इंजे. पिटामिन को (1 मिली/मिली) |
| व्यक्तिगत एक्स्ट्रैक्टर |
| प्र. एवं टॉम मास्टर (आकार 0.1) के साथ बैग एवं मास्टर (240 मिली) |
| साफ दिनेन्द्र/मानिया नंबर को |

1- यह शास्त्रीय इलेक्ट्रॉनिकल जारी किया गया है, अतः इस पर हरस्तशक्र की आवश्यकता नहीं है।
2- यह शास्त्रीय इलेक्ट्रॉनिकल की प्रमाणित वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सर्वात्मक की जा सकती है।
प्रमाण एवं आपूर्ति

| जन्मदिन स्टैंड पर आवश्यक शाखा (एक मैसूरी में) | जिले पर उपलब्ध स्टॉक (सीखने वाले माह का पत्रिका स्टॉक) | मिट्टने प्रेमास के दौरान स्टॉक आउट हुए क्लासिक के नाम | मिट्टने प्रेमास के दौरान स्टॉक आउट माले दिल्लीवरी वाइट की स.

अन्य कार्यक्रम के अलग हिस्सा निगमित उपकल्प/ आवश्यक/ सामर

| लेने के लिए |

| रेडियोल किया हुआ कॉड कांटने वाला उपकल्प |

| क्रियाशील रेडियोल कांटन |

| डी) प्रत्युत्तर इकाईयों की सक्रियता |

क्लासिक के नाम

| नाम | स्टर | एमडेंबुएनी दुल फिन्च के मुनिसार आवश्यक दिल्लीवरी वाइट की स.

| वर्तमान में क्रियाशील दिल्लीवरी वाइट की स.

| भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नए दिल्लीवरी वाइट की स.

| रिपोर्टिंग माह में सक्रिय किये गये नए दिल्लीवरी वाइट की स.

| प्रमाण एवं आपूर्ति |

1. यह शासनदेश इलेक्ट्रोमेट्रिकी जानकरी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनदेश की प्रमाणित वेब साइट http://shasan.gov.in तथा सर्वाधिकारदायक वेब साइट का अनुसरण करें।
एच.एम.आई.एस. डाटा की गुणवत्ता विश्लेषण का प्रारूप

जिला स्तरीय वैचारिक समिति (डेटा वैलिडेशन कमेटी) बैठक हुई (हाँ/नहीं)?

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रमाण सं.</th>
<th>वैलिडेशन का नाम</th>
<th>क्रमांक स्तर पर वैचारिक समिति का गठन किया गया है? (हाँ/नहीं)</th>
<th>बैठक पर वैचारिक समिति की बैठक हुई है (हाँ/नहीं)</th>
<th>स्वास्थ्य इकाईयों की सं.</th>
<th>माह की 5 तारीख को एच.एम.आई.एस. डेटा गरने वाली स्वास्थ्य इकाईयों का प्रतिशत</th>
<th>माह की 10 तारीख को एच.एम.आई.एस. डेटा आमंत्रण में नहीं बल्कि स्वास्थ्य इकाईयों का प्रतिशत</th>
<th>वैचारिक नियम में असफल रूप से कोई क्रिया का प्रतिशत</th>
<th>पिछले माह में डेटा अपडेट एवं सहयोगी परीक्षण, एच.एम.आई.एस. /एम.सी.टी.एस. के लिए भ्रमण की गयी स्वास्थ्य इकाईयों की संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>उदाहरण राजधानी पुर</td>
<td>हाँ</td>
<td>नहीं</td>
<td>300</td>
<td>75%</td>
<td>0%</td>
<td>12%</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>कुल</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

टिप्पणी: क्षेत्र में एच.एम.आई.एस. संचयन सुपरविजन एवं डेटा आउटेंटिकेट के प्रलयलाभ विनिमय की गयी सूचना डेटा की गुणवत्ता एवं क्रेडिट में उनकी स्थिति लेट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकल जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनदेश की प्रमाणितता वेब साइट http://shasandesh.up.nic.in से सत्यनिपत्त की जा सकती है।
स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा

माह ............  वर्ष ............

विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा हेतु केंद्र सांख्यिकी प्राप्त दिये जा रहे हैं तथा आवश्यकतानुसार उन्हें संशोधित किया जा रहा है। इसी प्रकार समस्त गतिविधियों के लिए समीक्षा प्राप्त जनपद तत्त्व पर वितरित करके प्रयोग किए जाए।

ए) पोषण पुनर्वर्तन केन्द्र, जिले में पोषण पुनर्वर्तन केन्द्रों की संख्या

<table>
<thead>
<tr>
<th>पोषण पुनर्वर्तन केन्द्रों का नाम</th>
<th>भारी हुए बच्चों की सं. (क्रमिक)</th>
<th>तीक होकर डिस्चार्ज हुए बच्चों की सं. (क्रमिक)</th>
<th>केन्द्र में पूरे 14 दिनों तक रहने वाले बच्चों की सं. (क्रमिक) &amp; प्रतिशत</th>
<th>डिस्चार्ज के बाद कम से कम 6 बार फॉलो अप के लिए लाए गए बच्चों की सं. (क्रमिक) &amp; प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>संख्या %</td>
<td>संख्या %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

बी) जेएस0एस0के0

<table>
<thead>
<tr>
<th>व्यक्ति का सं.</th>
<th>प्रसार की क्रमिक सं. (प्रोत्साहन, एच,एम, आई के एस)</th>
<th>जे एस एस के संघ को लेने वाले लाभाधिकारी की सं. (क्रमिक)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>दादागंधा एवं कजुम्बुमबाल</td>
<td>आहार % बाल दुस्सूलजन</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>% निदान % 102 से दीस्टाइड %</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

सी) आरयोमीएस0के0

<table>
<thead>
<tr>
<th>व्यक्ति का नाम</th>
<th>गांव/नगरपालिका</th>
<th>वर्गीकरण में आरयोमीएस के केंद्रों के संख्या</th>
<th>पिछले माह के मार्ग द्वारा स्कूलों में किए गए स्कूलों की सं.</th>
<th>पिछले माह में आधारित आयुर्विज्ञानीय केंद्रों की सं.</th>
<th>पिछले माह में आयुर्विज्ञानीय केंद्रों में आधारित आयुर्विज्ञानीय केंद्रों की सं.</th>
<th>पिछले माह में आयुर्विज्ञानीय केंद्रों में आधारित आयुर्विज्ञानीय केंद्रों की सं.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>संख्या %</td>
<td>संख्या %</td>
<td>संख्या %</td>
<td>संख्या %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. यह शासनाधिकार इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनाधिकार की प्रमाणित वेब साइट http://shasanadhesh.up.nic.in से सर्वाधिक मुहूर्त की आ रहती है।
### सामुदायिक कार्यक्रम एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस

#### ए) आशा प्रोत्साहन राशि की दशा

| क्रम का नाम | माह का नाम | जननी सुरक्षा योजना | प्रतिष्ठान | परिवार मित्रोत्सव | कलेक्टर बैठक | एएए बैठक | ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस | दी.एच.आई.आर
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>उदाहरण: बेहदा</td>
<td>मार्च 15</td>
<td>मार्च 15</td>
<td>अप्रैल 15</td>
<td>जनवरी 15</td>
<td>जनवरी 15</td>
<td>अप्रैल 15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### बी) ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस की स्थिति एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की निगरानी

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम का नाम</th>
<th>ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस संतोष की सं. (ब्राह्मण)</th>
<th>निगरानी की सं. (ब्राह्मण) को सं. (राष्ट्रीय)</th>
<th>निगरानी की सं. (राष्ट्रीय) को सं. (उपराष्ट्रीय)</th>
<th>निगरानी की सं. (उपराष्ट्रीय) को सं. (सर्वप्रथम)</th>
<th>निगरानी की सं. (सर्वप्रथम) को सं. (राष्ट्रीय)</th>
<th>निगरानी की सं. (राष्ट्रीय) को सं. (उपराष्ट्रीय)</th>
<th>निगरानी की सं. (उपराष्ट्रीय) को सं. (सर्वप्रथम)</th>
<th>निगरानी की सं. (सर्वप्रथम) को सं. (राष्ट्रीय)</th>
<th>निगरानी की सं. (राष्ट्रीय) को सं. (उपराष्ट्रीय)</th>
</tr>
</thead>
</table>

1. यह शासनदेश इन्फ्रास्ट्रक्चरल जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनदेश की प्रमाणित वेब साइट [http://hasanadesh.up.nic.in](http://hasanadesh.up.nic.in) से संचालित की जा सकती है।
<table>
<thead>
<tr>
<th>सूचक नं.</th>
<th>वर्तमान वर्ष में स्पीकेट धनराशि</th>
<th>कुल उपलब्ध धनराशि (गत वर्ष की रक्षित एवं इस वर्ष प्राप्त)</th>
<th>कुल धन (गत माह तक की वर्ष धनराशि एवं अवशेष धनराशि – क्रियाकाल)</th>
<th>गत माह तक की अप्रमाणित धनराशि (वर्तमान वर्ष)</th>
<th>गत माह तक उपयोगिता धनराशि (गत वर्ष की)</th>
<th>टिप्पणी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ए 1</td>
<td>आर सी एच प्रलेखी पूल</td>
<td>गाँव स्वास्थ्य</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ए 1.3</td>
<td>जनमी पूजा योजना/व्य</td>
<td>प्रशासनिक स्वास्थ्य</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ए 1.3.3</td>
<td>वर्ग विभाग</td>
<td>ए एच के (महत्त्वपूर्ण गतिविधियों के साथ)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ए 2</td>
<td>वाल स्वास्थ्य</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ए 2.10</td>
<td>जो एच एच के (संगठन नवजातों तथा वर्ष तक के लिए)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ए 4</td>
<td>राष्ट्रीय विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम</td>
<td>राष्ट्रीय विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ए 5</td>
<td>राष्ट्रीय वाल स्वास्थ्य कार्यक्रम</td>
<td>राष्ट्रीय वाल स्वास्थ्य कार्यक्रम</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ए 5.1</td>
<td>आर की एच कोंक्रिमिनेशन कोंसल (लाइजेंस वाल स्वास्थ्य कोटा)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ए 8</td>
<td>मानव संसाधन</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ए 8.1</td>
<td>स्विचार वाले रैक एवं स्वास्थ्य (आदेश को छोड़कर)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ए 10</td>
<td>कार्यक्रम प्रश्न</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ए 10</td>
<td>कार्यक्रम/राष्ट्रीय प्रामाणिक स्वास्थ्य सेवा प्रक्रिया</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है; अर्थ: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://thathanadesh.up.nic.in से सर्वाधिक प्रकाश में है।
| सीट | क्रियात्मक के संबंध में वे कैसे राजस्व-कर्मचारी (राज अधिकारी) विभाग की भर्ती करते हैं।
| --- | --- |
| ए 10.3 | संबंधित वाली गतिविधियों
| श्री | - हार्मोनी विभाग संपर्क मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त
| श्री 1 | आज़ादी।
| श्री 2 | अन्तर्राष्ट्रीय फॉन्ड/वार्षिक
| श्री 4 | अन्तर्राष्ट्रीय संलग्नता
| श्री 5 | नए निर्माण/नवीनीकरण एवं
| श्री 9 | आयुष्य को मेंस्ट्रियम करना
| श्री 10 | आई एस बी जी बी जी बी
| श्री 14 | अंग्रेजी का संपर्क
| श्री 15 | रङ्ग-रंगान्वयन
| श्री 16 | उपर्युक्तों का रङ्ग-रंगान्वयन
| श्री 16.1 | दशाहीमले एवं अपूर्ति का
| श्री 16.2 | हार्सिटेज पेट्ट प्रबंधन
| श्री 16.2.4 | राज रंगान्वयनएवं झाड़ु पांड्रा
| श्री 23 | अन्य खर्च (पापा बैंक अप, कवरजैसे इत्यादि)
| श्री 23 | ती जो एस
| श्री 17 | प्रतिक्रिया

1. यह शासनदेश संवेदनशीली जारी किया गया है, जब इस पर हस्ताक्षर को आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनदेश के प्रभावितका वेब साइट http://shasanadeyh.up.nic.in देश स्थापित की जा सकती है।
| चिन्हित चुनौतियों हेतु मासिक कार्ययोजना का प्रारूप |
|---|---|---|---|---|
| गांव ............ वर्ष ............ |

<table>
<thead>
<tr>
<th>चिन्हित चित्र के क्षेत्र (चिन्हित ढेटा सीटों के आधार पर जैसे- डीएसबीए</th>
<th>चिन्हित मुख्य चुनौतियाँ</th>
<th>प्रस्तावित कार्य योजना</th>
<th>उत्तरदायी व्यक्ति</th>
<th>समय सीमा</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>उदाहरण स्वरूप- संस्थागत प्रशासन 50 प्रतिशत से कम</td>
<td>बेहटा (23 प्रतिशत)</td>
<td>ब्लॉक पर केवल 1 डी पी उपलब्ध</td>
<td>एल1 के अनुसार पी. एस.एच. जसगढ़ा, पी. एच.सी.एच. ललितपुर व पी. एच. सी. व मुजफ्फर नगर</td>
<td>ए.सी.एम.ओ.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1- यह शासनाधिकार इलेक्ट्रॉनिकली आरोप है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनाधिकार की प्रमाणित का वेब साइट [http://shasanadsh.up.nic.in](http://shasanadsh.up.nic.in) से सत्यापित की जा सकती है।